चैंबर ऑफ कॉमर्स पर नगर निगम ने लगाया 52 लाख रु. का जुर्माना

14000 वर्गफीट में बिल्डिंग, कम दे रहे थे प्रॉपर्टी टैक्स

भास्कर संवाददाता | रतलाम

व्यापार से जुड़ी संस्था चैंबर ऑफ कॉमर्स पर नगर निगम ने 52 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला टैक्स चोरी का है। दरअसल, चैंबर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग लगभग 14000 वर्गफीट में बनी है। बावजूद इसके संस्थान कई सालों से सिर्फ 3500 वर्गफीट का ही प्रॉपर्टी टैक्स भर रहा था। यह खुलासा तब हुआ, जब संपत्तिकर की बकाया वसूली में जुटे राजस्व अमले ने बिल्डिंग की नपती की। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने पांच गुना शास्ति लगाने के आदेश दिए। राजस्व टीम ने गणना की तो यह लगभग 52 लाख रुपए निकला। बुधवार को नगर निगम ने चैंबर ऑफ कॉमर्स के कांतिलाल छाजेड़ को नोटिस दे दिया है। 15 दिन का समय दिया है। इस दौरान पैनल्टी नहीं भरने पर दोबारा 15 दिन का नोटिस जारी होगा। इसके बाद भी राशि जमा नहीं की तो कुर्की की जाएगी। संस्था के अध्यक्ष कांतिलाल छाजेड़ ने बताया कि निगम का नोटिस मिला है, लेकिन नपती हमारे सामने नहीं की गई है। कोर्ट में भी केस चल रहा है। उचित कदम उठाएंगे।

रतलाम

अब तक बीते साल से 2.69 करोड़ की ज्यादा वसूली

बकाया संपत्तिकर की वसूली के लिए नवंबर से चल रहे अभियान में अब तक निगम को 12.30 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। राजस्व निरीक्षक हरीश शर्मा, देवेंद्र पुरोहित, सतीश यादव, प्रवीण शर्मा आदि की टीम द्वारा की गई यह वसूली बीते साल 9.61 करोड़ से लगभग 2.69 करोड़ रुपए ज्यादा है। अभी 10-11 बड़े बकायादारों से वसूली होना बाकी है। राजस्व की टीम ने 14 बड़े बकायादारों को नोटिस जारी किए थे, इनसे लगभग 35 से 40 लाख रुपए की वसूली होना थी। इनमें से तीन ने ही संपत्तिकर जमा कराया है।

दै. भास्कर ३१/३/२२

बकाया व अवैध नल संयोजन विच्छेदन की मुहिम निरंतर जारी

रतलाम। नगर निगम द्वारा अवैध व बकाया राशि के नल
योजन विच्छेदन की कार्यवाही के तहत निगम आयुक्त सोमनाथ
ारिया के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न क्षेत्रों से 4 अवैध नल
ंयोजनों को जलप्रदाय विभाग टीम द्वारा विच्छेद किया गया साथ
ी 13 अवैध नल संयोजनों को वैध किया गया।

जलप्रदाय विभाग अमले द्वारा अभियान के तहत लालजी का
ाग में 7 अवैध नल संयोजनों को वैध किया गया, लौहार रोड क्षेत्र में
4 अवैध नल संयोजन काटे व 2 अवैध नल संयोजनों को वैध किया
गया इसके अलावा रेल नगर में 4 अवैध नल संयोजनों को वैध
किया गया।

नगर निगम द्वारा नल संयोजनो के बकायादारों से अपील की जाती है कि वे अपनी बकाया राशि जमा कराकर नल संयोजन विच्छेदन की कार्यवाही से बचें। अवैध नल संयोजनकर्ता अपने नल संयोजन को नियमानुसार वैध करावें। प्रसारण

प्रसारण 31/3/22

बकाया व अवैध नल संयोजन विच्छेदन की मुहिम निरंतर जारी

- 4 अवैध नल संयोजन विच्छेद - 13 अवैध नल संयोजनों को वैध किया गया

रतलाम। नगर निगम द्वारा अवैध व बकाया राशि के नल संयोजन विच्छेदन की कार्यवाही के तहत निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न क्षेत्रों से 4 अवैध नल संयोजनों को जलप्रदाय विभाग टीम द्वारा विच्छेद किया गया साथ ही 13 अवैध नल संयोजनों को वैध किया गया। जलप्रदाय विभाग अमले द्वारा अभियान के तहत लालजी का बाग में 7 अवैध नल संयोजनों को वैध किया गया, लौहार रोड क्षेत्र में 4 अवैध नल संयोजन काटे व 2 अवैध नल संयोजनों को वैध कियां गया इसके अलावा रेल नगर में 4 अवैध नल संयोजनों को वैध किया गया। नगर निगम द्वारा नल संयोजनो के बकायादारों से अपील की जाती है कि वे अपनी बकाया राशि जमा कराकर नल संयोजन विच्छेदन की कार्यवाही से बचें। अवैध नल संयोजनकर्ता अपने नल संयोजन को नियमानुसार वैध करावें।

इन्दौर समाचार 31/3/22

रतलाम में स्थापित किए जाएं छोटे व्यवसायियों के लिए फुटकर मार्केट (रोजगार स्थल) : डागा

प्रसारण न्यूज • रतलाम

शहर की आबादी और भौगोलिक सीमाओं में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए सड़क पर फैले व्यापार को व्यवस्थित करने की महती आवश्यकता है। इसके लिए महानगरों की तर्ज पर रतलाम में भी मल्टी स्टोरी वाला फुटकर मार्केट (रोजगार स्थल) बनाया जाएं, जहां सभी छोटे दुकानदारों को अपने व्यवसाय के लिए दुकान मिल सके।

यह मांग पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा ने कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम को पत्र लिखकर की है। उन्होंने बताया कि पिछले एक-डेढ़ दशक में शहर का चौतरफा विस्तार हुआ है, इससे कई क्षेत्रों में बाजार विकसित हुए है, लेकिन फुटकर व्यवसायियों के लिए कहीं कोई भी स्थान नियत नहीं हुआ है, इससे फुटकर व्यापारी जगह-जगह सड़क पर ठेला लगाकर या सड़क पर बैठे मिलते है। कई स्थानों पर जूते-चप्पल, चश्में, कपड़े एवं रेडीमेड वस्त्र और पोस्टर, सब्जी एवं फ्रूट आदि की दुकानें लगाई जा रही है, इनसे शहर की यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

श्री डागा ने शहर में फुटकर मार्केट (रोजगार स्थल) बनाने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि राजीव गांधी सिविक सेंटर, छत्रीपुल और सैलाना बस स्टैंड मंडी तथा पटरी पार की शासकीय भूमि पर और अन्य उचित स्थान पर बहु मंजिला मार्केट बनाए जाएं, इनमें भूतल पर पार्किंग एव प्रथम तल पर सब्जी एवं फ्रुट बाजार हो और उसके ऊपर छोटे व्यवसायियों के लिए (छोटी दुकानें 6×4 साइज की) निर्मित हो तथा एक स्थल पर व्यापार होने से व्यापार में वृद्धि होगी, इससे कई दुकानदारों को अपने व्यवसाय का स्थान मिल जाएगा, जिससे शहर को व्यवस्थित करने एवं यातायात सुधारने में मदद मिलेगी।

फुटकर मार्केट (रोजगार स्थल) से छोटे व्यापारी आए दिन अतिक्रमण के नाम पर होने वाली दंडात्मक कार्यवाही से बच जाएंगे, इससे शासन को अतिरिक्त राजस्व की आमदनी भी सुनिश्चित हो जाएगी। तथा शहर का यातायात भी सुगम हो जाएगा।

प्रसारण 31/3/22

रतलाम में स्थापित किए जाए छोटे व्यवसायिओं के लिए-फुटकर मार्केट (रोजगार स्थल) : डागा

सिंघम रिपोर्टर □ रतलाम

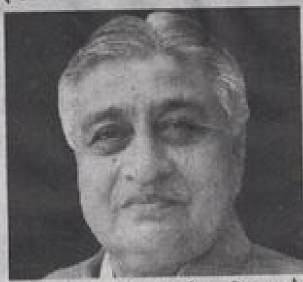

शहर की आबादी और भौगोलिक सीमाओं में लगातार बढ़ौतरी को देखते हुए सड़क पर फैले व्यापार को व्यवस्थित करने की महती आवश्यकता है। इसके लिए महानगरों की तर्ज पर रतलाम में भी मल्टी स्टोरी वाला फुटकर मार्केट (रोजगार स्थल) बनाया जाए, जहां सभी छोटे दुकानदारों को अपने व्यवसाय के लिए दुकान मिल सके।

यह मांग पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को पत्र लिखकर की है। उन्होंने बताया कि पिछले एक-डेढ़ दशक में शहर का चौतरफा विस्तार हुआ है। इससे कई क्षेत्रों में बाजार विकसित हुए है, लेकिन फुटकर व्यवसायियों के लिए कहीं कोई भी स्थान नियत नहीं हुआ है। इससे फुटकर व्यापारी जगह-जगह सड़क पर थैला लगाकर या सड़क पर बैठे मिलते है। कई स्थानों पर जूते-चप्पल, चश्में, कपडे एवं रेडीमेड वस्त्र और पोस्टर, सब्जी एवं फ्रूट आदि की दुकानें लगाई जा रही है। इनसे शहर की यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

श्री डागा ने शहर में फुटकर मार्केट (रोजगार स्थल) बनाने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि राजीव गांधी सिविक सेंटर, छत्रीपुल और सैलाना बस स्टैंड मंडी तथा पटरी पार की शासकीय भूमि पर और अन्य उचित स्थान पर बहुमंजिला मार्केट बनाए जाए।

इनमें भूतल पर पार्किंग एव प्रथम तल पर सब्जी एवं फ्रूट बाजार हो और उसके उपर छोटे व्यवसायियों के लिए (छोटी दुकाने 6बाय4 साइज की) निर्मित हो तथा एक स्थल पर व्यापार होने से व्यापार में वृद्धि होगी। इससे कई दुकानदारों को अपने व्यवसाय का स्थान मिल जाएगा, जिससे शहर को व्यवस्थित करने एवं यातायात सुधारने में मदद मिलेगी।

फुटकर मार्केट (रोजगार स्थल) से छोटे व्यापारी आए दिन अतिक्रमण के नाम पर होने वाली दंडात्मक कार्यवाही से बच जाएंगे। इससे शासन को अतिरिक्त राजस्व की आमदनी भी सुनिश्चित हो जाएगी। तथा शहर का यातायात भी सुगम हो जाएगा।

सिंघम - 30/3/22

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाय

रतलाम जिले के साढे छह हजार परिवारों ने गृह प्रवेश किया

रतलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मार्च को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा रतलाम जिले के भी साढ़े 6 हजार हितग्राही परिवारों को गृह प्रवेश करवाया गया । रतलाम ग्रामीण के ग्राम नंदलाई में प्रभारी मंत्री ओ.पी.एस. भदोरिया द्वारा ग्राम के हितग्राही परिवारों को गृह प्रवेश करवाया गया। उनको शुभकामनाएं दी, उनके परिजनों से चर्चा की। इस दौरान विधायक चेतन्य काश्यप, विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय, विधायक दिलीप मकवाना, राजेंद्रसिंह लुनेरा, श्यामसुंदर शर्मा, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, अधिकारीगण, हितग्राही एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के उदबोधन को लाइव देखा-सुना गया। इस अवसर पर बाबूलाल कर्णधार, ईश्वरलाल पाटीदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. इंद्रजीत बाकलवार, एसडीएम राजेश शुक्ला, ग्राम सरपंच सुश्री मीरा जगदीश मचार भी उपस्थित थे।

ग्राम नंदलाई आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री ओ.पी.एस. भदौरिया ने जिन हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया उसमें अंबाराम, रमेश, कैलाश, रतनबाई, तुलसीराम, देवीलाल, सोमा हेमराज आदि शामिल है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच गरीब कल्याण को समर्पित है। आज प्रदेश के लाखों परिवारों ने प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश कर अपने घर की खुशी पाई है। राज्य शासन भी गरीब वर्ग को घर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य शासन ने करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है। प्रभारी मंत्री द्वारा आयोजन के लिए जिला प्रशासन की भी सराहना की गई। उन्होंने कहा कि अपने घरों में प्रवेश करते लोगों के चेहरे की चमक देखकर मन अत्यंत प्रसन्न है। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक श्री दिलीप मकवाना द्वारा आभार व्यक्त किया गया। संचालन श्री आशीष दशोत्तर ने किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री भदोरिया द्वारा हितग्राहियों को लाभ वितरण किया गया।

29 मार्च को रतलाम जिले के आलोट विकासखण्ड में 1302 हितग्राहियों द्वारा गृह प्रवेश किया ग
इसी प्रकार बाजना में 2106, जा
368, पिपलौदा में 425, रतलाम में 9
तथा सैलाना में 1367 हितग्राहियों द्व
गृह प्रवेश किया गया। इस दौ
प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना
तहत जिले की 341 ग्राम पंचायतों
645 गांवों में गृह प्रवेश कार्यक्र
आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री आवा
में गृह प्रवेश कार्यक्रम के अवसर
जिले के 364 हितग्राहियों को उज्जव
गैस योजना का लाभ भी दिया जाए
इसके अलावा 179 हितग्राहियों
खाद्यान्न पर्ची, 64 बालिकाओं
लाडली लक्ष्मी तथा 870 हितग्राहियों
आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान कि
गया। इस दौरान ग्राम नंदलाई
जलाभिषेक अभियान के तहत महिला
द्वारा कलश यात्रा भी आयोजित की ग

स्टेट एक्सप्रेस

स्टेट एक्सप्रेस 31/3/22

बड़ी कार्रवाई : कॉलोनी काटी, लेकिन नहीं किए विकास कार्य, नगर निगम ने बंधक रखे कई प्लाट कर लिए राजसात

प्रसारण न्यूज • रतलाम

नगर निगम ने विकास कार्य की अनुमति के बाद भी कॉलोनी में समय पर विकास कार्य पूर्ण नहीं करने के मामले में अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर ऐसे ही एक मामले में निगमायुक्त ने कॉलोनी के विकास के पेटे बंधक रखे प्लाटों को राजसात करने के आदेश जारी कर दिए है।

निगम प्रशासन ने यह कार्रवाई रचना हाउसिंग कॉलोनी को लेकर की है। जारी आदेश में कहा गया कि उक्त कॉलोनी को दिसंबर 2013 में कॉलोनी का विकास कार्य करने की अनुमति दी गई थी। इसके लिए 3 वर्ष का समय दिया गया था, लेकिन 8 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी विकास कार्य पूर्ण नहीं किए गए। नगर निगम की ओर से समय-समय पर कॉलोनाइजरों को आश्रय निधि की शेष राशि जमा करने एवं विकास कार्य पूर्ण करने को लेकर सूचना पत्र भी जारी किए गए। इसके बाद भी कार्य पूर्ण नहीं होने पर नगर निगम की ओर से फरवरी 2022 में अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया।

इसमें 7 दिन की अवधि में आश्रय निधि की शेष राशि जमा करने और कॉलोनी के शेष विकास कार्य के लिए कार्य शुरू करने की सूचना दी गई। निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि इसके बाद भी कार्य की गति अत्यंत धीमी पाई गई।

कॉलोनी एक्ट के विपरीत कार्य किया

जारी आदेश में कहा गया कि कार्य की अत्यंत धीमी गति के कारण कॉलोनी के आंतरिक विकास कार्य जिसकी लागत लगभग 7.83 करोड़ रुपए है, का समय सीमा में पूर्ण होना संभव नहीं है। इसके साथ ही विकास कार्य पूर्ण किए बिना और पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना आवासीय भूखंडों का विक्रय कर कालोनी एक्ट के विपरीत कार्य किया गया है। निगमायुक्त सोमनाथ झरिया ने अनियमितता और लापरवाही पर मध्य प्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के नियम 20 अनुसार कॉलोनी विकास के पेटे बंधक रखें 22072.23 वर्ग मीटर प्लॉट को तत्काल प्रभाव से राजसात करने के आदेश जारी किए हैं। राजसात भूखंडों को नियमानुसार विक्रय कर कॉलोनी के शेष विकास कार्यों को पूर्ण कराया जाएगा।

इनका कहना है

कॉलोनी के विकास कार्य पूर्ण नही होने पर जनसुनवाई में रहवासियों ने आवेदन दिया था। इसके बाद कॉलोनाइजर को कार्य पूर्ण करने के लिए सूचना पत्र देते हुए समय भी दिया गया। लेकिन इसके बावजूद समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार बंधक रखे प्लाटों को राजसात करने की कार्रवाई की गई है। नियम के अनुसार बंधक प्लाटो को विक्रय कर कॉलोनी के अधूरे विकास कार्य को पूरा कराया जाएगा।

• कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर एवं निगम प्रशासक रतलाम

प्रसारण

प्रसारण 3/3/22

स्वच्छता गीत-गायन प्रतियोगिता कल

स्वदेश

रतलाम ● स्वच्छता ही उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी है। रतलाम शहर स्वच्छता की दौड़ में नम्बर -1 बने यह हर नागरिक का सपना है और हम सभी के प्रयासों के बिना यह सपना अधूरा है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 के तहत रतलाम शहर स्वच्छता जागरूकता के लिए स्वरचित स्वच्छता गीत और इसके गायन की स्पर्धा का आयोजन आगामी एक अप्रैल को कर रहा है। इस प्रतियोगिता में नकद राशि के इनाम के साथ ही विभिन्न उपहार भेंट किए जाएंगे। कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश व आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशन में आयोजित होने वाली गीत गायन प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए होगी। इस प्रतियोगिता के दौरान स्वच्छ रतलाम, सुंदर रतलाम की थीम पर प्रतियोगियों को स्वरचित गीत का गायन गुलाब चक्कर उद्यान में 1 अप्रैल दोपहर 2 बजे से आयोजित कार्यक्रम में करना होगा। प्रतियोगिता में सफल रहे प्रतियोगियों को नकद राशि के साथ ही प्रमाणपत्र भेंट किए जाएंगे। गीत गायन स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी 31 मार्च शाम तक व्हाट्सएप नम्बर 9229575956 पर अपना पंजीयन करा सकते है।

स्वदेश 31/3/22

स्वच्छता गीत-गायन प्रतियोगिता 1 अप्रैल को

रतलाम। स्वच्छता ही उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी है। रतलाम शहर स्वच्छता की दौड़ में नम्बर - 1 बने यह हर नागरिक का सपना है और हम सभी के प्रयासों के बिना यह सपना अधूरा है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 के तहत रतलाम शहर स्वच्छता जागरुकता के लिए स्वरचित स्वच्छता गीत और इसके गायन की स्पर्धा का आयोजन आगामी एक अप्रैल को कर रहा है। इस प्रतियोगिता में नकद राशी के ईनाम के साथ ही विभिन्न उपहार भेंट किए जाएगे। कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक कुमार पुरुषोतम के निर्देश व आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशन में आयोजित होने वाली गीत गायन प्रतियोगिता,जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए होगी। इस प्रतियोगिता के दौरान स्वच्छ रतलाम, सुंदर रतलाम की थीम पर प्रतियोगियों को स्वरचित गीत का गायन गुलाब चक्कर उद्यान में 1 अप्रैल दोपहर 2 बजे से आयोजित कार्यक्रम में करना होगा। प्रतियोगिता में सफल रहे प्रतियोगियों को नकद राशि के साथ ही प्रमाणपत्र भेंट किए जाएगे। गीत गायन स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी 31 मार्च शाम तक व्हाटशॉप नम्बर 9229575956 पर अपना पंजीयन करा सकते है। प्रसारण

प्रसारण 31/3/22

स्वच्छता गीत-गायन प्रतियोगिता 1 अप्रैल को, 31 मार्च शाम तक प्रतियोगी करा सकते है पंजीयन

रतलाम। स्वच्छता ही उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी है। रतलाम शहर स्वच्छता की दौड़ में नम्बर - 1 बने यह हर नागरिक का सपना है और हम सभी के प्रयासों के बिना यह सपना अधूरा है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 के तहत रतलाम शहर स्वच्छता जागरुकता के लिए स्वरचित स्वच्छता गीत और इसके गायन की स्पर्धा का आयोजन आगामी एक अप्रैल को कर रहा है। इस प्रतियोगिता में नकद राशी के ईनाम के साथ ही विभिन्न उपहार भेंट किए जाएगे। कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक कुमार पुरुषोतम के निर्देश व आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशन में आयोजित होने वाली गीत गायन प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए होगी। इस प्रतियोगिता के दौरान स्वच्छ रतलाम, सुंदर रतलाम की थीम पर प्रतियोगियों को स्वरचित गीत का गायन गुलाब चक्कर उद्यान में 1 अप्रैल दोपहर 2 बजे से आयोजित कार्यक्रम में करना होगा। प्रतियोगिता मे सफल रहे प्रतियोगियों को नकद राशि के साथ ही प्रमाणपत्र भेंट किए जाएगे। गीत गायन स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी 31 मार्च शाम तक व्हाटशॉप नम्बर 9229575956 पर अपना पंजीयन करा सकते है।

इन्दौर समाचार 31/3/22

स्वच्छता गीत-गायन प्रतियोगिता 1 को

रतलाम। स्वच्छता ही उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी है। रतलाम शहर स्वच्छता की दौड़ में नम्बर -1 बने यह हर नागरिक का सपना है और हम सभी के प्रयासों के बिना यह सपना अधूरा है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 के तहत रतलाम शहर स्वच्छता जागरुकता के लिए स्वरचित स्वच्छता गीत और इसके गायन की स्पर्धा का आयोजन आगामी एक अप्रैल को कर रहा है। इस प्रतियोगिता में नकद राशी के ईनाम के साथ ही विभिन्न उपहार भेंट किए जाएगे। कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश व आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशन में आयोजित होने वाली गीत गायन प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए होगी। इस प्रतियोगिता के दौरान स्वच्छ रतलाम, सुंदर रतलाम की थीम पर प्रतियोगियों को स्वरचित गीत का गायन गुलाब चक्कर उद्यान में 1 अप्रेल दोपहर 2 बजे से आयोजित कार्यक्रम में करना होगा। प्रतियोगिता में सफल रहे प्रतियोगियों को नकद राशि के साथ ही प्रमाणपत्र भेंट किए जाएगे। गीत गायन स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी 31 मार्च शाम तक व्हाट्सअप नम्बर 9229575956 पर अपना पंजीयन करा सकते है।

12 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डों में प्रात: 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रात: 7 व दोपहर की शिफ्ट में 5 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रात: की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा। मंगलवार को वार्डों में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रात: झोन क्रमांक 1 में अजय-विनोद, बादल-दिलीप, झोन क्रमांक 2 में कमल-सुल्तान, झोन क्रमांक 3 में गोपाल-दिलीप, झोन क्रमांक 4 में कन्हैयालाल-कमल, दीपक-राजू, राहूल-मनोहर व दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 1 में धीरज-रमेश, दीपक-जगदीश, झोन क्रमांक 2 में रानीबाई पति धीरज, मनोरमाबाई पति जगदीश व झोन क्रमांक 4 में मीनाश्री पति योगेश इस तरह 12 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से र्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ने सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक ने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से र्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

नवभारत 31/3/22

रोजगार दिवस • बरबड़ विधायक सभागृह में आयोजित किया गया मुख्य कार्यक्रम, स्वरोजगार और उद्यम के लिए दी राशि

5448 लोगों को दिया गया 24.70 करोड़ का लोन और अनुदान

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कार्यक्रम को संबोधित करते विधायक काश्यप और बरबड़ विधायक सभागृह में रोजगार दिवस कार्यक्रम में मौजूद हितग्राही।

रोजगार दिवस का मुख्य कार्यक्रम बुधवार को बरबड़ विधायक सभागृह में विधायक चेतन्य काश्यप के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। इसमें सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 5448 हितग्राहियों को 24 करोड़ 70 लाख रुपए का लोन, अनुदान व अन्य लाभ दिए गए।

उपस्थितों को मार्गदर्शन देते हुए विधायक काश्यप ने कहा कि सरकार ने बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाते हुए आम आदमी तक सुलभ कर दिया गया है। स्वरोजगार तथा उद्यम के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर जिले में ऋण लाभ तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं हैं। इससे आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। योजना के अलावा सामुदायिक निधि के रूप में 3 करोड़, पशुपालन के तहत 1998 पशुपालक किसानों को 8 करोड़, 67 मत्स्य पालक किसानों को 6 लाख रुपए के किसान क्रेडिट, उद्यानिकी विभाग के एक जिला एक उत्पाद में 3 हितग्राहियों को 82 लाख रुपए और मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना में 1 हितग्राही को 8 लाख रुपए का ऋण दिया गया। जिला पंचायत प्रधान परमेश मईडा, मयूर पुरोहित आदि उपस्थित रहे। संचालन आशीष दशोत्तर ने किया।

योजना	हितग्राही	दिया गया लाभ
मुद्रा योजना	90	90 लाख
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन	19	1.90 करोड़
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	970	97 लाख
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	68	90 लाख
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	176	3 करोड़
मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना	863	86 लाख
सामुदायिक निधि	298	3 करोड़
स्वयं सहायता समूह	12	19 लाख

भास्कर

दै. भास्कर 31/3/22

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया

रतलाम जिले के साढे छह हजार परिवारों ने गृह प्रवेश किया

रतलाम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 मार्च को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा रतलाम जिले के भी साढ़े 6 हजार हितग्राही परिवारों को गृह प्रवेश करवाया गया । रतलाम ग्रामीण के ग्राम नंदलाई में प्रभारी मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदोरिया द्वारा ग्राम के हितग्राही परिवारों को गृह प्रवेश करवाया गया। उनको शुभकामनाएं दी, उनके परिजनों से चर्चा की। इस दौरान विधायक श्री चैतन्य काश्यप, विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय, विधायक श्री दिलीप मकवाना, श्री राजेंद्रसिंह लुनेरा, श्री श्यामसुंदर शर्मा, कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, अधिकारीगण, हितग्राही एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के उद्बोधन को लाइव देखा-सुना गया। इस अवसर पर श्री बाबूलाल कर्णधार, श्री ईश्वरलाल पाटीदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. इंद्रजीत बाकलवार, एसडीएम श्री राजेश शुक्ला, ग्राम सरपंच सुश्री मीरा जगदीश मचार भी उपस्थित थे।

ग्राम नंदलाई आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया ने जिन हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया उसमें अंबाराम, रमेश, कैलाश, रतनबाई, तुलसीराम, देवीलाल, सोमा हेमराज आदि शामिल है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच गरीब कल्याण को समर्पित है। आज प्रदेश के लाखों परिवारों ने प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश कर अपने घर की खुशी पाई है। राज्य शासन भी गरीब वर्ग को घर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य शासन ने करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है। प्रभारी मंत्री द्वारा आयोजन के लिए जिला प्रशासन की भी सराहना की गई। उन्होंने कहा कि अपने घरों में प्रवेश करते लोगों के चेहरे की चमक देखकर मन अत्यंत प्रसन्न है। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक श्री दिलीप मकवाना द्वारा आभार व्यक्त किया गया। संचालन श्री आशीष दशोत्तर ने किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री भदोरिया द्वारा हितग्राहियों को लाभ वितरण किया गया।

29 मार्च को रतलाम जिले के आलोट विकासखण्ड में 1302 हितग्राहियों द्वारा गृह प्रवेश किया गया। इसी प्रकार बाजना में 2106, जावरा 368, पिपलौदा में 425, रतलाम में 908 तथा सैलाना में 1367 हितग्राहियों द्वारा गृह प्रवेश किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत जिले की 341 ग्राम पंचायतों के 645 गांवों में गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश कार्यक्रम के अवसर पर जिले के 364 हितग्राहियों को उज्जवला गैस योजना का लाभ भी दिया जाएगा। इसके अलावा 179 हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची, 64 बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी तथा 870 हितग्राहियों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया गया। इस दौरान ग्राम नंदलाई में जलाभिषेक अभियान के तहत महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी आयोजित की गई।

प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया नें बालिकाओं के साथ भोजन किया

रतलाम जिले के भ्रमण पर आए प्रभारी मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया ने 29 मार्च को सैलाना के कन्या आवासीय परिसर में अध्ययनरत बालिकाओं के साथ दोपहर का भोजन किया। इस अवसर पर विधायक श्री चैतन्य काश्यप, विधायक श्री दिलीप मकवाना, श्री राजेंद्र सिंह लुनेरा, श्री श्याम सुंदर शर्मा, श्रीमती संगीता चारेल, कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, एसडीएम सैलाना तथा रतलाम शहर भी भोजन में सम्मिलित हुए। प्रभारी मंत्री ने बालिकाओं से चर्चा भी की और उनको आशीर्वाद दिया।

बड़ी कार्रवाई : कॉलोनी काटी लेकिन नहीं किए विकास कार्य

नगर निगम ने बंधक रखे कई प्लाट कर लिए राजसात

रतलाम। नगर निगम ने विकास कार्य की अनुमति के बाद भी कॉलोनी में समय पर विकास कार्य पूर्ण नहीं करने के मामले में अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर ऐसे ही एक मामले में निगमायुक्त ने कॉलोनी के विकास के पेटे बंधक रखे प्लाटों को राजसात करने के आदेश जारी कर दिए है। निगम प्रशासन ने यह कार्रवाई रचना हाउसिंग कॉलोनी को लेकर की है । जारी आदेश में कहा गया कि उक्त कॉलोनी को दिसंबर 2013 में कॉलोनी का विकास कार्य करने की अनुमति दी गई थी। इसके लिए 3 वर्ष का समय दिया गया था। लेकिन 8 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी विकास कार्य पूर्ण नहीं किए गए। नगर निगम की और से समय-समय पर कालोनाइजरों को आश्रय निधि की शेष राशि जमा करने एवं विकास कार्य पूर्ण करने को लेकर सूचना पत्र भी जारी किए गए। इसके बाद भी कार्य पूर्ण नहीं होने पर नगर निगम की ओर से फरवरी 2022 में अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया। इसमें 7 दिन की अवधि में आश्रय निधि की शेष राशि जमा करने और कालोनी के शेष विकास कार्य के लिए कार्य शुरू करने की सूचना दी गई। निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि इसके बाद भी कार्य की गति अत्यंत धीमी पाई गई।

कालोनी एक्ट के विपरीत कार्य किया

जारी आदेश में कहा गया कि कार्य की अत्यंत धीमी गति के कारण कॉलोनी के आंतरिक विकास कार्य जिसकी लागत लगभग 7.83 करोड़ रुपए है, का समय सीमा में पूर्ण होना संभव नहीं है। इसके साथ ही विकास कार्य पूर्ण किए बिना और पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना आवासीय भूखंडों का विक्रय कर कालोनी एक्ट के विपरीत कार्य किया गया है। निगमायुक्त सोमनाथ झरिया ने अनियमितता और लापरवाही पर मध्य प्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के नियम 20 अनुसार कॉलोनी विकास के पेटे बंधक रखें 22072.23 वर्ग मीटर प्लॉट को तत्काल प्रभाव से राजसात करने के आदेश जारी किए हैं । राजसात भूखंडों को नियमानुसार विक्रय कर कॉलोनी के शेष विकास कार्यों को पूर्ण कराया जाएगा।

इनका कहना है

कॉलोनी के विकास कार्य पूर्ण नहीं होने पर जनसुनवाई में रहवासियों ने आवेदन दिया था। इसके बाद कॉलोनाइजर को कार्य पूर्ण करने के लिए सूचना पत्र देते हुए समय भी दिया गया। लेकिन इसके बावजूद समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार बंधक रखे प्लाटों को राजसात करने की कार्रवाई की गई है। नियम के अनुसार बंधक प्लाटों को विक्रय कर कॉलोनी के अधूरे विकास कार्य को पूरा कराया जाएगा।

- कुमार पुरुषोत्तम,
कलेक्टर एवं निगम प्रशासक
रतलाम

इन्दौर

इन्दौर समाचार 31/3/22

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण : प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया

रतलाम जिले के साढे छह हजार परिवारों ने गृह प्रवेश किया, जिले केप्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया ग्राम नन्दलई के कार्यक्रम में शामिल हुए

रतलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मार्च को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा रतलाम जिले के भी साढ़े 6 हजार हितग्राही परिवारों को गृह प्रवेश करवाया गया । रतलाम ग्रामीण के ग्राम नंदलाई में प्रभारी मंत्री ओ.पी.एस. भदोरिया द्वारा ग्राम के हितग्राही परिवारों को गृह प्रवेश करवाया गया। उनको शुभकामनाएं दी, उनके परिजनों से चर्चा की। इस दौरान विधायक चेतन्य काश्यप, विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय, विधायक दिलीप मकवाना, राजेंद्रसिंह लुनेरा, श्यामसुंदर शर्मा, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, अधिकारीगण, हितग्राही एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के उदबोधन को लाइव देखा-सुना गया। इस अवसर पर बाबूलाल कर्णधार, ईश्वरलाल पाटीदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. इंद्रजीत बाकलवार, एसडीएम राजेश शुक्ला, ग्राम सरपंच सुश्री मीरा जगदीश मचार भी उपस्थित थे।

ग्राम नंदलाई आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री ओ.पी.एस. भदौरिया ने जिन हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया उसमें अंबाराम, रमेश, कैलाश, रतनबाई, तुलसीराम, देवीलाल, सोमा हेमराज आदि शामिल है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच गरीब कल्याण को समर्पित है। आज प्रदेश के लाखों परिवारों ने प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश कर अपने घर की खुशी पाई है। राज्य शासन भी गरीब वर्ग को घर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य शासन ने करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है। प्रभारी मंत्री द्वारा आयोजन के लिए जिला प्रशासन की भी सराहना की गई। उन्होंने कहा कि अपने घरों में प्रवेश करते लोगों के चेहरे की चमक देखकर मन अत्यंत प्रसन्न है। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक श्री दिलीप मकवाना द्वारा आभार व्यक्त किया गया। संचालन श्री आशीष दशोत्तर ने किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री भदोरिया द्वारा हितग्राहियों को लाभ वितरण किया गया।

29 मार्च को रतलाम जिले के आलोट विकासखण्ड में 1302 हितग्राहियों द्वारा गृह प्रवेश किया गया। इसी प्रकार बाजना में 2106, जावरा 368, पिपलौदा में 425, रतलाम में 908 तथा सैलाना में 1367 हितग्राहियों द्वारा गृह प्रवेश किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत जिले की 341 ग्राम पंचायतों के 645 गांवों में गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश कार्यक्रम के अवसर पर जिले के 364 हितग्राहियों को उज्जवला गैस योजना का लाभ भी दिया जाएगा। इसके अलावा 179 हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची, 64 बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी तथा 870 हितग्राहियों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया गया। इस दौरान ग्राम नंदलाई में जलाभिषेक अभियान के तहत महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी आयोजित की गई।

अपनी दुनिया

अपनी दुनिया 31/3/22

कार्रवाई

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक का आदेश: रचना हाउसिंग कॉलोनी के 84 बंधक प्लाट राजसात

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. कॉलोनी में विकास कार्य पूरे नहीं कराना अब कॉलोनाइजर को भारी पड़ गया है। इस मामले में कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर नगर निगम ने विकास कार्य की अनुमति के बाद भी समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर कॉलोनी के बंधक प्लाट राजसात करने की कार्रवाई की है। यह मामला रचना हाउसिंग कॉलोनी का है, जिसे लेकर नगर निगम द्वारा उक्त आदेश जारी करना बताया गया है।

कलेक्टर के अनुसार उक्तक कॉलोनी अनिल झालानी, अभय कोठारी और रमेशचंद्र जैन के द्वारा विकसित की गई थी। बताया जा रहा है कि उक्त कॉलोनी को दिसंबर 2013 में कॉलोनी का विकास कार्य करने की अनुमति दी गई थी। इसके लिए तीन वर्ष का समय भी दिया गया था लेकिन आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी विकास कार्य पूर्ण नहीं किए गए। नगर निगम द्वारा समय-समय पर कॉलोनाइजर को आश्रय निधि की शेष राशि जमा करने एवं विकास कार्य पूर्ण करने को लेकर सूचना पत्र भी जारी किए गए थे लेकिन हालात नहीं बदले। इसके बाद अब जाकर कॉलोनी विकास के पेटे बंधक रखें 22072.23 वर्ग मीटर प्लॉट को तत्काल प्रभाव से राजसात करने के आदेश जारी किए हैं।

फरवरी में दिया अंतिम सूचना पत्र

नगर निगम की ओर से फरवरी 2022 में कॉलोनाइजरों को अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसमें सात दिन की अवधि में आश्रय निधि की शेष राशि जमा करने और कालोनी के शेष विकास कार्य के लिए कार्य शुरू करने की सूचना दी गई थी। निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि इसके बाद भी कार्य की गति अत्यंत धीमी पाई गई है। आंतरिक विकास कार्य की लागत लगभग 7.83 करोड़ रुपए बताई गई है और धीमी गति से चल रहे काम के चलते वह समय पर पूरी हो पाना भी संभव नहीं बताई जा रही है। विकास कार्य पूर्ण किए बिना और पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना आवासीय भूखंडों का विक्रय कर कालोनी एक्ट के विपरीत कार्य किया जाना बताया गया है।

लंबे समय से कॉलोनाइजर द्वारा विकास कार्य पूर्ण नहीं कराया गया था। सूचना पत्र देने के बाद भी गति धीमी थी। जिसके चलते 84 बंधक प्लाटों को राजसात करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इनके माध्यम से विकास कार्य पूर्ण कराया जाएगा। - **कुमार पुरुषोत्तम,** कलेक्टर एवं निगम प्रशासक, रतलाम

पत्रिका 3/3/22

रचना हाउसिंग कालोनी के बंधक प्लाट राजसात, निगम बेचेगा

रतलाम। भक्तन की बावड़ी मुक्तिधाम के समीप रचना हाउसिंग द्वारा विकसित की जा रही कालोनी में विकास कार्य नहीं होने से निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने निगम को बंधक रखे प्लाट राजसात करने का आदेश दिया है। इन प्लाटों को बेचकर नगर निगम कालोनी में बचे शेष विकास कार्य करवाएगा।

मालूम हो कि 21 मार्च को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने टीएल बैठक में नगर निगम एक्ट के अनुसार कालोनी के बंधक रखे गए प्लाट को विक्रय करके विकास कार्य नगर निगम द्वारा करवाए जाने के निर्देश दिए थे। दिसंबर 2013 में जारी कालोनी विकास की अनुमति में तीन वर्ष का समय दिया गया था, लेकिन आठ वर्ष के बाद भी विकास कार्य पूर्ण नहीं किए गए। नगर निगम से समय-समय पर कालोनाइजरों को आश्रय निधि की शेष राशि जमा करने एवं विकास कार्य पूर्ण करने को लेकर सूचना पत्र भी जारी किए गए। फरवरी 2022 में अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया। इसके बाद भी कार्य की गति धीमी पाई गई।

कालोनी के आंतरिक विकास कार्य की लागत लगभग 7.83 करोड़ रुपये है। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 20 अनुसार बंधक रखे 22072.23 वर्ग मीटर प्लाट को तत्काल प्रभाव से राजसात करने के आदेश जारी किए हैं। रचना हाउसिंग के एक भागीदार प्रवीण सेलवाड़िया का गत दिनों मुंबई में निधन हो चुका है। फर्म की ओर से अनिल झालानी ने बताया कि कालोनी में विकास कार्य लगातार हो रहे हैं। इसके फोटो व प्रगति की सूचना भी लगातार निगमायुक्त व अन्य अधिकारियों को दी गई है। समय पर काम पूरा कर लेंगे।

नईदुनिया 3/3/22

विकास नहीं करने पर बंधक प्लॉट राजसात

रतलाम | अनुमति के बाद भी विकास कार्य पूरे नहीं कराने पर नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने भक्तन की बावड़ी के सामने बनी रचना हाउसिंग फर्म की कॉलोनी के बंधक प्लॉट राजसात करने के आदेश दे दिए हैं। राजसात किए गए 22072.23 वर्ग मीटर प्लॉट को नियमानुसार बेचकर निगम कॉलोनी के बाकी विकास कार्य करवाएगा। इस कॉलोनी को दिसंबर 2013 में अनुमति दी गई थी। विकास के लिए तीन साल का समय दिया था, लेकिन 8 साल बाद भी विकास कार्य नहीं कराए गए। इतना ही नहीं निगम ने कॉलोनाइजरों को आश्रय निधि के बाकी रुपए भी जमा कराने के नोटिस भेजे। इसके बाद भी काम पूरा नहीं होने पर फरवरी 2022 में अंतिम नोटिस भेजकर सात दिन का समय दिया था।

दै. भास्कर 3/3/22

साढ़े छह हजार परिवारों के पक्के आवासों में प्रवेश करके खिले चेहरे

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया। रतलाम जिले के साढे छह हजार परिवारों ने गृह प्रवेश किया। ग्राम नंदलाई में प्रभारी मंत्री ओ.पी.एस. भदोरिया द्वारा ग्राम के हितग्राही परिवारों को गृह प्रवेश करवाया गया। विधायक चैतन्य काश्यप, विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय, विधायक दिलीप मकवाना, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी अभिषेक तिवारी आदि उपस्थित थे। संचालन आशीष दशोत्तर ने किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री भदोरिया द्वारा हितग्राहियों को लाभ वितरण किया गया। रतलाम जिले के आलोट विकासखण्ड में 1302 हितग्राहियों द्वारा गृह प्रवेश किया गया। इसी प्रकार बाजना में 2106, जावरा 368, पिपलौदा में 425, रतलाम में 908 तथा सैलाना में 1367 हितग्राहियों द्वारा गृह प्रवेश किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत जिले की 341 ग्राम पंचायतों के 645 गांवों में गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश कार्यक्रम के अवसर पर जिले के 364 हितग्राहियों को उज्जवला गैस योजना का लाभ भी दिया जाएगा। इसके अलावा 179 हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची, 64 बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी तथा 870 हितग्राहियों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया गया। इस दौरान ग्राम नंदलाई में जलाभिषेक अभियान के तहत महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी आयोजित की गई।

प्रभारी मंत्री ने बालिकाओं के साथ भोजन किया

सैलाना के कन्या आवासीय परिसर में अध्ययनरत बालिकाओं के साथ दोपहर का भोजन किया। इस अवसर पर विधायक चैतन्य काश्यप, विधायक दिलीप आदि भी सम्मिलित हुए।

दबंग दुनिया 3/3/22

बड़ी कार्रवाई : कॉलोनी काटी लेकिन नहीं किए विकास कार्य
नगर निगम ने बंधक रखे कई प्लाट कर लिए राजसात

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

नगर निगम ने विकास कार्य की अनुमति के बाद भी कॉलोनी में समय पर विकास कार्य पूर्ण नहीं करने के मामले में अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर ऐसे ही एक मामले में निगमायुक्त ने कॉलोनी के विकास के पेटे बंधक रखे प्लाटों को राजसात करने के आदेश जारी कर दिए है।

निगम प्रशासन ने यह कार्रवाई रचना हाउसिंग कॉलोनी को लेकर की है । जारी आदेश में कहा गया कि उक्त कॉलोनी को दिसंबर 2013 में कॉलोनी का विकास

कार्य करने की अनुमति दी गई थी। इसके लिए 3 वर्ष का समय दिया गया था। लेकिन 8 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी विकास कार्य पूर्ण नहीं किए गए। नगर निगम की और से समय-समय पर कालोनाइजरों को आश्रय निधि की शेष राशि जमा करने एवं विकास कार्य पूर्ण करने को लेकर सूचना पत्र भी जारी किए गए। इसके बाद भी कार्य पूर्ण नहीं होने पर नगर निगम की ओर से फरवरी 2022 में अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया।

इसमें 7 दिन की अवधि में आश्रय निधि की शेष राशि जमा करने और कालोनी के शेष विकास कार्य के लिए कार्य शुरू करने की सूचना दी गई। निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि इसके बाद भी कार्य की गति अत्यंत धीमी पाई गई।

इनका कहना है

कॉलोनी के विकास कार्य पूर्ण नहीं होने पर जनसुनवाई में रहवासियों ने आवेदन दिया था। इसके बाद कॉलोनाइजर को कार्य पूर्ण करने के लिए सूचना पत्र देते हुए समय भी दिया गया। लेकिन इसके बावजूद समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार बंधक रखे प्लाटों को राजसात करने की कार्रवाई की गई है। नियम के अनुसार बंधक प्लाटों को विक्रय कर कॉलोनी के अधूरे विकास कार्य को पूरा कराया जाएगा।

◆ कुमार पुरुषोत्तम
कलेक्टर एवं निगम प्रशासक रतलाम

दबंग

कालोनी एक्ट के विपरीत कार्य किया

जारी आदेश में कहा गया कि कार्य की अत्यंत धीमी गति के कारण कॉलोनी के आंतरिक विकास कार्य जिसकी लागत लगभग 7.83 करोड़ रुपए है,का समय सीमा में पूर्ण होना संभव नहीं है। इसके साथ ही विकास कार्य पूर्ण किए बिना और पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना आवासीय भूखंडों का विक्रय कर कालोनी एक्ट के विपरीत कार्य किया गया है। निगमायुक्त सोमनाथ झरिया ने अनियमितता और लापरवाही पर मध्य प्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के नियम 20 अनुसार कॉलोनी विकास के पेटे बंधक रखें 22072.23 वर्ग मीटर प्लॉट को तत्काल प्रभाव से राजसात करने के आदेश जारी किए हैं । राजसात भूखंडों को नियमानुसार विक्रय कर कॉलोनी के शेष विकास कार्यों को पूर्ण कराया जाएगा।

दबंग दुनिया 31/3/22

रोजगार दिवस : जिले के 5 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को कल्याणकारी योजनाओं के तहत 24 करोड़ से अधिक के ऋण लाभ तथा अनुदान प्रदान किए

प्रसारण न्यूज • रतलाम

शासन के निर्देश पर आयोजित किए जा रहे रोजगार दिवस आयोजन के तहत बुधवार को रतलाम मुख्यालय पर रोजगार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 5448 हितग्राहियों को 24 करोड़ 70 लाख रूपए के ऋण लाभ प्रदान किए गए। हितग्राहियों को अनुदान लाभ भी मिला। इस अवसर पर बरबड विधायक सभागृह में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर विधायक श्री चेतन्य काश्यप थे। कार्यक्रम में जिला पंचायत प्रधान श्री परमेश मईडा, कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, सीईओ जिला पंचायत श्री जमुना भिड़े, श्री मयूर पुरोहित तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने कहा कि केंद्र तथा राज्य शासन द्वारा बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाते हुए आम आदमी तक सुलभ कर दिया गया है। अब बैंकर्स आम आदमी के घर पहुंचते हैं और बैंक सुविधाओं का लाभ प्रदान करते हैं। शासन की कल्याणकारी योजनाओं के तहत स्वरोजगार तथा उद्यम के लिए शासन द्वारा बड़े पैमाने पर रतलाम जिले में ऋण लाभ तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। निश्चित रूप से उक्त सुविधाओं से आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, परिवार खुशहाल हो रहे हैं उनका भविष्य सुरक्षित होगा।

इस अवसर पर अतिथियों द्वारा हितग्राहियों को लाभ वितरित किए गए। मुद्रा योजना के तहत 90 हितग्राहियों को 90 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के तहत 19 हितग्राहियों को 1 करोड़ 90 लाख रुपए का लाभ प्रदान किया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पीएम निधि में 970 हितग्राहियों को 97 लाख रुपए का प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 68 हितग्राहियों को 90 लाख रूपए का लाभ प्रदान किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 176 हितग्राहियों को 3 करोड़ रूपए का लाभ प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में 863 हितग्राहियों को 86 लाख रुपए का ऋण लाभ प्रदान किया गया। सामुदायिक निधि में 298 हितग्राहियों को 3 करोड़ रूपए का लाभ प्रदान किया गया। स्वयं सहायता समूहों के तहत 12 समूहों को 19 लाख रूपए का लाभ प्रदान किया गया। स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फंड के रूप में 72 लाख रूपए की अनुदान राशि प्रदान की गई।

इसी प्रकार समूहों को सामुदायिक निधि के रूप में 3 करोड़ रूपए के लाभ प्रदान किए गए। पशुपालकों तथा मत्स्य पालक को किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ प्रदान किए गए। पशुपालन के तहत 1998 पशुपालक किसानों को 8 करोड रुपए के केसीसी प्रदान किए गए। इसी तरह 67 मत्स्य पालक किसानों को 6 लाख रूपए के किसान क्रेडिट लाभ प्रदान किए गए। उद्यानिकी विभाग के तहत एक जिला एक उत्पाद में 3 हितग्राहियों को 82 लाख रुपए के लाभ प्रदान किए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के तहत 1 हितग्राही को 8 लाख रूपए का ऋण लाभ प्रदान किया गया।

कार्यक्रम में महाप्रबंधक उद्योग मुकेश शर्मा, उपसंचालक पशु चिकित्सा आर.के. शर्मा, डूडा प्रभारी अरुण पाठक, उप संचालक उद्यानिकी पी.एस. कनेल, एनआरएलएम जिला प्रबंधक हिमांशु शुक्ला, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दिलीप सेठिया, उपायुक्त नगर निगम विकास सोलंकी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन आशीष दशोत्तर ने किया।

खुशियों की दास्तां : एक जिला एक उत्पाद योजना से सुरेश जाट लहसुन आधारित प्रसंस्करण इकाई स्थापित करेंगे

रतलाम। रतलाम मुख्यालय पर आयोजित किया गया रोजगार दिवस जिले के हजारों हितग्राहियों के लिए शासन की कल्याणकारी योजनाओं की सौगात लाया। हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से शासन द्वारा ऋण लाभ उपलब्ध कराए गए। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत लहसुन भी जिले का चयनित उत्पाद है। रोजगार दिवस के अवसर पर एक जिला एक उत्पाद योजना में उद्यानिकी विभाग द्वारा रतलाम मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम मुंदड़ी के युवा सुरेश जाट को 27 लाख रूपए का ऋण लाभ उपलब्ध कराया गया। 35 वर्षीय सुरेश जाट मूलतः किसान है, वे लहसुन की खेती प्रमुखता से करते हैं। उनका इरादा लहसुन पाउडर, लहसुन पेस्ट और लहसुन की कलियां बनाने की इकाई स्थापित करने का है, इसके लिए पूंजी की आवश्यकता थी, वे अपने स्वयं के स्तर पर इतनी पूंजी जुटा पाने में असमर्थ थे। ऐसे में एक जिला एक उत्पाद योजना उनके काम आई। उद्यानिकी विभाग द्वारा सुरेश का प्रकरण तैयार किया गया। इसके फलस्वरुप बैंक ऑफ बड़ौदा से बुधवार को रोजगार दिवस कार्यक्रम में 27 लाख रूपए का बैंक ऋण लाभ सुरेश को प्रदान किया गया।

शासन द्वारा वित्तीय सहायता के लिए की गई मदद से सुरेश प्रसन्न है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को धन्यवाद देते हैं। वे कहते हैं कि अब पूंजी हासिल हो गई है, शीघ्र-अतिशीघ्र अपनी लहसुन प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि रोजगार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में सुरेश जाट के अलावा ग्राम तालोद तहसील आलोट के महेश शर्मा तथा सैलाना के दीपक पाटीदार को भी लहसुन आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए ऋण लाभ उपलब्ध कराया गया। कुल 3 हितग्राहियों को 82 लाख रूपए का ऋण लाभ बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

स्वच्छता की परिकल्पना को दीवारों पर उकेरा

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की थीम पर आयोजित हुई वॉल पेंटिग प्रतियोगिता

* वॉल पेंटिग प्रतियोगिता में निगम आयुक्त श्री झारिया ने लिखा स्वच्छता स्लोगन
* विजेता प्रतिभागी नगद राशि व प्रशस्ती पत्र से हुए सम्मानित

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार कॉलेज रोड पर आयोजित वॉल पेंटिग प्रतियोगिता में जूनियर व सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी तुलिकाओं व कलर से शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय की बाउण्ड्रीवॉल पर स्वच्छता थीम पर एक से बढ़कर एक पेंटिग बनाकर नगर के नागरिकों को स्वच्छता का संदेश दिया वहीं निगम आयुक्त श्री झारिया ने भी वॉल पेंटिग पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के स्लोगन को लिखा।

आयोजित प्रतियोगिता हेतु नगर निगम द्वारा कॉलेज रोड स्थित शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय की बाउण्ड्रीवॉल, पेंटिंग हेतु कलर, ब्रश आदि पेंटिग हेतु उपलब्ध कराकर अपरान्ह 3 बजे प्रतियोगिता प्रारंभ करवाई जिसमें जूनियर एवं सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा पेंटिग बनाना प्रारंभ की। सांय 6 बजे निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, पूर्व महापौर परिषद सदस्य श्री गोविन्द काकानी, निर्णायक प्राचार्य उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्री सुभाश कुमावत, आशीष चौरसिया, शिक्षिका स्नेहलता भदौरिया ने विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई पेंटिग का अवलोकन किया।

इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि बनाई गई पेंटिग को देखकर लग रहा है कि बच्चे अपने शहर को स्वच्छ बनाने की परिकल्पना को साकार कर रहे है, पेंटिग को देखने से लगता है कि बच्चों में स्वच्छता के प्रति अत्याधिक जागरूकता है ऐसी जागरूकता नगर के प्रत्येक नागरिक में हो तो रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने से कोई नहीं रोक सकता।

प्राचार्य उत्कृश्ट विद्यालय श्री सुभाष कुमावत ने अपने उदबोधन में कहा कि रतलाम नगर निगम नगर को स्वच्छ बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है किन्तु प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि ये भी इस कार्य में अपनी सहभागिता निभायें। पूर्व महापौर परिशद सदस्य श्री गोविन्द काकानी ने इस अवसर पर कहा कि जहां स्वच्छता होती है वहीं स्वस्थता होती है इसलिये हमें स्वस्थ रहने के लिये स्वच्छता को अपनी आदत में शामिल करना होगा। वॉल पेंटिग प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में अनुज़ा दीक्षित समूह प्रथम, झलक यादव द्वितीय, अश्विन सोलोमन तृतीय व प्रोत्साहन पुरस्कार दीक्षा नादिचा, सीनियर वर्ग में प्रथम मिनाक्षी टांक, द्वितीय लखन सांकला, तृतीय मनमीतसिंह चौहान व प्रोत्साहन पुरस्कार मारिया मनासी ने प्राप्त किया जिन्हें 3100, 2100, 1100 व 501 की नगद राशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्रा, राजेश पाटीदार, मनीश तिवारी, सफाई मित्र समूह के संचालक श्री अनिल पांचाल सहित प्रतियोगी शामिल थे।

अवन्तिका

अवन्तिका 31/3/22

नगर निगम का कोई काम समय पर क्यों नहीं होता !

रतलाम। शहरवासियों का दुर्भाग्य है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए जिम्मेदार नगर निगम कोई कार्य समय पर पूरा नहीं करती। इससे शहर अस्त-व्यस्त रहता है और आमजन को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले एक -दो सालों और वर्तमान समय में नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों पर नजर डाली जाए, तो पता चलेगा कि निगम की लापरवाही से जनता के साथ-साथ उसके खजाने पर भी चोट पड़ती है। निगम की विडंबना है कि खर्च वाले काम समय पर नहीं होने से उसका खर्च बढ़ रहा है, तो आमदनी वाले काम भी समय पर नहीं होने से उसकी आय समय पर नहीं हो रही है।

पिछले दिनों लोहार रोड पर हरदेवलाला पिपली के पास सड़क खुदाई से लोग परेशान हुए थे और इन दिनों गणेश देवरी से नोलाईपुरा क्षेत्र की सड़क खुदने से आमजन परेशान हैं। इससे पहले भी जहां-जहां सड़क, नाली और सीवरेज के कार्य हुए हैं, वहां कई दिनों तक लोगों को सिर्फ परेशानी ही उठानी पड़ी। दो बत्ती क्षेत्र में सीवरेज का काम कई दिनों से चल रहा है। कुछ क्षेत्रों में कार्य के प्रति लापरवाही से बार-बार खुदाई करना पड़ी, तो कई जगह सड़क खोदने के बाद उसकी मरम्मत आज तक नहीं हो पाई है। मैदानी स्तर जैसी लापरवाही का आलम निगम के कार्यालय में भी है। नामांतरण, भवन निर्माण और अन्य शिकायतों के निवारण के लिए शहरवासियों को कई दिनों तक निगम के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। निगम की व्यवस्था अनुसार सभी कार्यों के लिए अवधि नियत है, चाहे वे मैदानी स्तर के हों अथवा कार्यालय के हों, लेकिन किसी भी स्तर पर निगम का अमला खुद को जिम्मेदार साबित नहीं कर रहा है।

..शेष पृष्ठ 8 पर

आयुक्त की प्राथमिकता पर जोर

कलेक्टर और विधायक के निर्देशों से अधिक नगर निगम का अमला इन दिनों आयुक्त सोमनाथ झारिया के प्राथमिकता वाले कार्यों में अधिक सक्रियता दिखा रहा है। आयुक्त ने स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर पूरे अमले को सक्रिय कर रखा है, इससे उसका अन्य कार्यों पर ध्यान नहीं है। शिकायतों पर भी निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आयुक्त का लक्ष्य पुरस्कार जीतने का है, जो अच्छा है, लेकिन उसके लिए सारी व्यवस्थाएं चौपट हो रही हैं। दिग्गजों की प्रतिष्ठा को भी बट्टा लगाया जा रहा है।

नगर निगम

पृष्ठ 1 का शेष

नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी आमजन की इन परेशानियों को लेकर बेपरवाह हैं। शहर के कई हिस्सों से वे खुद कई बार गुजरते हैं, लेकिन उन्हें समस्याएं नजर नहीं आतीं। कुछ काम प्राथमिकता वाले होते हैं, लेकिन निगम उन्हें भी समय पर पूरा नहीं रहा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम नगर निगम के प्रशासक भी हैं लेकिन उनके सहित विधायक चेतन्य काश्यप द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों को निगम अमला हवा में उड़ाता दिख रहा है। कलेक्टर एवं ने विधायक पिछले साल में कई वार शहर के यातायात, सड़कों के निर्माण और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर बैठकें कर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए, लेकिन मैदानी स्तर पर उनमें कई काम आज तक शुरू ही नहीं हो पाए हैं। इससे निगम अमले के साथ-साथ शहर में इन जिम्मेदारों की भी खिल्ली उड़ रही है।

उपग्रह 31/3/22

छोटे व्यापारियों के लिये रोजगार स्थल बनाएं - शैलेन्द्र डागा

'दैनिक अवन्तिका' ›› रतलाम

शहर की आबादी और भौगोलिक सीमाओं में लगातार बढौतरी को देखते हुए सडक पर फैले व्यापार को व्यवस्थित करने की महती आवश्यकता है। इसके लिए महानगरों की तर्ज पर रतलाम में भी मल्टी स्टोरी वाला फुटकर मार्केट (रोजगार स्थल) बनावा जाए, जहां सभी छोटे दुकानदारों को अपने व्यवसाय के लिए दुकान मिल सके।

यह मांग पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा ने कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम को पत्र लिखकर की है। उन्होंने बताया कि पिछले एक-डेढ दशक में शहर का चौतरफा विस्तार हुआ है। इससे कई क्षेत्रों में बाजार विकसित हुए है, लेकिन फुटकर व्यवसायियों के लिए कहीं कोई भी स्थान नियत नहीं हुआ है। इससे फुटकर व्यापारी जगह-जगह सडक पर थैला लगाकर या सड़क पर बैठे मिलते है। कई स्थानों पर जूते-चप्पल, चश्में, कपडे एवं रेडीमेड वस्त्र और पोस्टर, सब्जी एवं फ्रूट आदि की दुकानें लगाई जा रही है। इनसे शहर की यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

श्री डागा ने शहर में फुटकर मार्केट (रोजगार स्थल) बनाने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि राजीव गांधी सिविक सेंटर, छत्रीपुल और सैलाना बस स्टैंड मंडी तथा पटरी पार की शासकीय भूमि पर और अन्य उचित स्थान पर बहुमंजिला मार्केट बनाए जाए। इनमें भूतल पर पार्किंग एव प्रथम तल पर सब्जी एवं फ्रूट बाजार हो और उसके उपर छोटे व्यवसायियों के लिए (छोटी दुकाने 6 बाय 4 साइज की) निर्मित हो तथा एक स्थल पर व्यापार होने से व्यापार में वृद्धि होगी। इससे कई दुकानदारों को अपने व्यवसाय का स्थान मिल जाएगा, जिससे शहर को व्यवस्थित करने एवं यातायात सुधारने में मदद मिलेगी। फुटकर मार्केट (रोजगार स्थल) से छोटे व्यापारी आए दिन अतिक्रमण के नाम पर होने वाली दंडात्मक कार्यवाही से बच जाएंगे। इससे शासन को अतिरिक्त राजस्व की आमदनी भी सुनिश्चित हो जाएगी। तथा शहर का यातायात भी सुगम हो जाएगा। अवन्तिका

अवन्तिका 31/3/22

रतलाम में स्थापित किए जाए छोटे व्यवसायिओं के लिए फुटकर मार्केट (रोजगार स्थल) : डागा

रतलाम। शहर की आबादी और भौगोलिक सीमाओं में लगातार बढौतरी को देखते हुए सडक पर फैले व्यापार को व्यवस्थित करने की महती आवश्यकता है। इसके लिए महानगरों की तर्ज पर रतलाम में भी मल्टी स्टोरी वाला फुटकर मार्केट (रोजगार स्थल) बनाया जाए, जहां सभी छोटे दुकानदारों को अपने व्यवसाय के लिए दुकान मिल सके। यह मांग पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा ने कलेक्टर कुमार पुरुषोतम को पत्र लिखकर की है। उन्होंने बताया कि पिछले एक-डेढ दशक में शहर का चौतरफा विस्तार हुआ है। इससे कई क्षेत्रों में बाजार विकसित हुए है, लेकिन फुटकर व्यवसायियों के लिए कही कोई भी स्थान नियत नहीं हुआ है। इससे फुटकर व्यापारी जगह-जगह सडक पर थैला लगाकर या सड़क पर बैठे मिलते है। कई स्थानों पर जूते-चप्पल, चश्में, कपडे एवं रेडीमेड वस्त्र और पोस्टर, सब्जी एवं फ्रूट आदि की दुकानें लगाई जा रही है। इनसे शहर की यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। श्री डागा ने शहर में फुटकर मार्केट (रोजगार स्थल) बनाने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि राजीव गांधी सिविक सेंटर, छत्रीपुल और सैलाना बस स्टैंड मंडी तथा पटरी पार की शासकीय भूमि पर और अन्य उचित स्थान पर बहुमंजिला मार्केट बनाए जाए। इनमें भूतल पर पार्किंग एव प्रथम तल पर सब्जी एवं फ्रूट बाजार हो और उसके उपर छोटे व्यवसायियों के लिए (छोटी दुकाने 6बाय4 साइज की) निर्मित हो तथा एक स्थल पर व्यापार होने से व्यापार में वृद्धि होगी। इससे कई दुकानदारों को अपने व्यवसाय का स्थान मिल जाएगा, जिससे शहर को व्यवस्थित करने एवं यातायात सुधारने में मदद मिलेगी। फुटकर मार्केट (रोजगार स्थल) से छोटे व्यापारी आए दिन अतिक्रमण के नाम पर होने वाली दंडात्मक कार्यवाही से बच जाएंगे। इससे शासन को अतिरिक्त राजस्व की आमदनी भी सुनिश्चित हो जाएगी। तथा शहर का यातायात भी सुगम हो जाएगा।

स्वदेश समाचार 31/3/22

5448 हितग्राहियों को 24 करोड़ से अधिक के ऋण दिए

रोजगार मेले मे हिताग्राही को ऋण प्रदान करते हुए शहर विधायक चेतन्य काश्यप। • नईदुनिया

रतलाम। रोजगार दिवस आयोजन बुधवार को बरबड़ स्थित विधायक सभागृह पर किया गया। शासीय योजनाओं के तहत 5448 हितग्राहियों को 24 करोड़ 70 लाख रुपये के ऋण लाभ दिए गए। हितग्राहियों को अनुदान लाभ भी मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर विधायक चेतन्य काश्यप थे। कार्यक्रम में जिला पंचायत प्रधान परमेश मईडा, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, मयूर पुरोहित तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।शहर विधायक काश्यप ने कहा कि केंद्र तथा राज्य शासन द्वारा बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाते हुए आम आदमी तक सुलभ कर दिया गया है। अब बैंकर्स आम आदमी के घर पहुंचते हैं और बैंक सुविधाओं का लाभ देते हैं। इस दौरान मुद्रा योजना के तहत 90 हितग्राहियों को 90 लाख रुपये, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के तहत 19 हितग्राहियों को 1 करोड़ 90 लाख, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पीएम निधि में 970 हितग्राहियों को 97 लाख, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 68 हितग्राहियों को 90 लाख, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 176 हितग्राहियों को 3 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में 863 हितग्राहियों को 86 लाख, सामुदायिक निधि में 298 हितग्राहियों को 3 करोड़, स्वयं सहायता समूहों के तहत 12 समूहों को 19 लाख रुपये का लाभ दिया गया। स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फंड के रूप में 72 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई।

०२।

नईदुनिया 3/3/22

पानी बेचने पर केस होगा

रतलाम, नप्र। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया है कि ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर नागरिकों के लिए पानी की उपलब्धता तय करने के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। निजी ट्यूबवेल से पेयजल का व्यावसायिक विक्रय करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। संबंधित विक्रेता के [illegible] आर करवाई जाएगी। रतलाम नगर निगम निर्माण [illegible] में उपयोग के लिए उपचारित जल का विक्रय किया जा र[illegible]

प्र कि ३०

प्रभात किरण / ३०/३/२२

विकास कार्य पूर्ण नहीं करने पर कॉलोनी के बंधक भूखण्डों को निगम ने किया राजसात

रतलाम। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर नगर निगम ने विकास कार्य की अनुमति के बाद भी कॉलोनी में समय पर विकास कार्य पूर्ण नहीं करने के मामले में अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक मामले में निगमायुक्त ने कॉलोनी के विकास के पेटे बंधक रखे प्लाटों को राजसात करने के आदेश जारी कर दिए है।

निगम प्रशासन ने यह कार्रवाई रचना हाउसिंग कॉलोनी को लेकर की है ।जारी आदेश में कहा गया कि उक्त कॉलोनी को दिसंबर 2013 में कॉलोनी का विकास कार्य करने की अनुमति दी गई थी। इसके लिए 3 वर्ष का समय दिया गया था। लेकिन 8 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी विकास कार्य पूर्ण नहीं किए गए। नगर निगम की ओर से समय-समय पर कालोनाइजरों को आश्रय निधि की शेष राशि जमा करने एवं विकास कार्य पूर्ण करने को लेकर सूचना पत्र भी जारी किए गए। इसके बाद भी कार्य पूर्ण नहीं होने पर नगर निगम की ओर से फरवरी 2022 में अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया। इसमें 7 दिन की अवधि में आश्रय निधि की शेष राशि जमा करने और कालोनी के शेष विकास कार्य के लिए कार्य शुरू करने की सूचना दी गई। निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि इसके बाद भी कार्य की गति अत्यंत धीमी पाई गई।

अग्निबाण 30

अग्निबाण 30/3/22